(c) The high power (10KW) TV transmitter at Dibrugarh has been functioning since February, 1988 and covers an area of about 12,560 sq. kms.

(d) A programme Production Centre is under implementation at Dibrugarh.

दूरदर्शन और दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के लिए राजस्थान को संस्वीकृत धनराशि

758. **डा. अबरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ऐसे कौन-कौन से तहसील मुख्यालय हैं जहां दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं पहुंच पाते हैं तथा कब तक वहां के लोग दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकेंगे; और

(ख) राजस्थान में दूरदर्शन और दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने के व्यय की पूरा करने के लिए कितने धन की संस्वीकृति दी गई थी और इस संबंध में अब तक जिले-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) इस समय राजस्थान की करीब 52.1 प्रतिशत जनसंख्या को टी०वी० सेवा प्राप्त होती है और आशा है कि राज्य में लगाये जा रहे ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर 67 प्रतिशत जनसंख्या को यह सेवा प्राप्त होने लगेगी। कवरेज के इन आंकड़ों में, किनारे के उन क्षेत्रों की जनसंख्या भी शामिल है जहां संतोषजनक संग्रहण के लिए एन्टीना और बूस्टर लगाने की आवश्यकता होती है। यद्यपि राज्य के सभी जिला मुख्यालय टी०वी० सेवा से कवर होते हैं, किन्तु राजस्थान के तहसील मुख्यालयों की टी०वी कवरेज का पता लगाने के लिए दूरदर्शन द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) छठी योजना की शुरूआत से राजस्थान राज्य में टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने के लिए अनुमोदित लागत प्राक्कलनों और खर्च की गई राशि का जिलावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

[विवरण]

क्र०सं०	जिला	टी०वी० ट्रांसमीटरों (मौजूदा कार्यान्वयनाधीन) की अनुमोदित लागत (लाख रुपये)	अब तक (अक्तूबर, 9 तक) खर्च की गई धनराशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	गंगानगर	130.48	119.56
2.	जैसलमेर	358.60	488.83
3.	बाड़मेर	471.60	355.60
4.	बीकानेर	24.00	19.29
5.	चूरू	74.97	117.63
6.	झुनझुनू	73.23	82.37
7.	अलवर	24.00	21.19
8.	भरतपुर	37.65	31.80
9.	सवाई माधोपुर	30.43	55.29
10.	जयपुर	61.70	36.20

1	2	3	4
11	सीकर	25.43	30.24
12	अजमेर	61.65	53.59
13	टोंक	37.65	45.41
14	जोधपुर	24.00	19.92
15	नागौर	30.43	36.48
16	पाली	25.43	30.47
17	जालौर	44.54	31.46
18	सिरोही	25.43	31.45
19	भीलवाड़ा	24.00	21.37
20	उदयपुर	78.00	57.35
21	चित्तौड़गढ़	49.71	48.81
22	डूंगरपुर	25.43	29.26
23	बांसवाड़ा	28.76	37.37
24	बूंदी	298.54	275.46
25	कोटा	24.00	22.78
26	झालावाड़	28.76	35.54

Recommendation to amend Film Censorship Guidelines

759. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI DHULESHWAR MEENA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some amendments to the Film censorship guidelines were recommended by a Committee headed by the former Central Board of Film Certification Chairman, B. P. Singhal;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what action is being taken by Government to amend the film censorship guidelines and to enforce them rigorously?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) Yes, Sir.

(b) Details of the proposed revised guidelines as recommended by the Committee are given in the Statement (*See* below);

(c) Comments of various associations of film industry and views of the Members of the Consultative Committee attached to this Ministry on the proposed revised guidelines have since been obtained and the fresh guidelines are being formulated. Instructions have recently been issued to all Regional Officers of Central Board of Film Certification to ensure that the film certification guidelines are strictly adhered to.

Statement

Revised Guidelines recommended by Singhal Committee

The objectives of film certification will be to ensure that:—

(a) the medium of film remains responsible and sensitive to the values and standards of society

(b) artistic expression and creative freedom are not unduly curbed.

(c) certification is responsive to social change, and

(d) the medium of film provides clean and healthy entertainment.